

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// आदेश //

क्रमांक.....²¹² /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 11 / 04 / 2025

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश को प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड रीवा के पद पर अधिसूचित किए जाने एवं सुश्री अदिति अग्रवाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा का स्थानांतरण अन्य जिला स्थापना होने एवं उनके स्थान पर किसी भी न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न होने के फस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कॉलम नं. 2 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नं. 3 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस किया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नं. 04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किये जाते हैं :-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है	प्रकरणों का प्रकार एवं सूची क्रमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है
1	2	3	4
01.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल के स. क.-01 से 16 सिविल के स. क.-67 से 116 सिविल के स. क.-251 से 350	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
		सिविल के स. क.-17 से 66 सिविल के स. क.-117 से 250 अन.सिविल के स.क. 01 से 07	नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
		सिविल के स. क.-351 से 382 अन.सिविल के स.क. 08 से 14	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
02-	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल के स. क.-01 से 08 सिविल के स. क.-59 से 108 सिविल के स. क.-186 से 336	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
		सिविल के स. क.-09 से 58 सिविल के स. क.-428 से 459 अन.सिविल के स.क. 01 से 10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश
		सिविल के स. क.-109 से 158 अन.सिविल के स.क. 11 से 20	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
		सिविल के स. क.-159 से 185	नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
		सिविल के स. क.-337 से 427	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा

sd /-

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

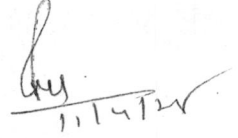
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक1819 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 11 / 04 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा।
 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश।
 2. प्रथम/तृतीय/पंचम/अष्टम/नवम्/अति. व्यवहार न्याया. कनिष्ठ खण्ड रीवा।
 2. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, रीवा।
 3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
 4. जू0सि0ए0 / डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)